

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक: एफ 27(254) ग्रावि-5/जीकेएन/2015-16 जयपुर, दिनांक

14 दिसम्बर, 2015


बैठक कार्यवाही विवरण

जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर खुली निविदा द्वारा सामग्री कय करने के सम्बंध में दिनांक 09.12.2015 को शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया गया :-

1. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
2. वित्तीय सलाहकार महात्मा गांधी नरेगा।
3. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंरावि।
5. अधीक्षण सलाहकार, ग्रावि।

पंचायत समिति स्तर पर बीएसआर दरों के निर्धारित करने एवं सामग्री कय करने बाबत बैठक में विस्तार से चर्चा की गई चर्चा के दौरान लिए गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है :-


1. बीएसआर की दरों के निर्धारण के सम्बंध में जिलों से अधिशाषी अभियन्ता एवं लेखाधिकारियों की जनवरी 2016 के प्रथम सप्ताह में कार्यशाला आयोजित की जावें।
2. बीएसआर साफ्टवेयर में सामग्री व उपकार्यों की सूची में एक अन्य कॉलम जोडा जावे एवं उसमें चयनित मुख्य सामग्री यथा सीमेंट/स्टील की प्रचलित बाजार दर इन्द्राज किया जावें।
3. पंचायत समिति स्तर पर बीएसआर तैयार करने के उपरान्त उनके द्वारा दरों में विसंगतिया पाये जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वसूली करने बाबत एक परिपत्र जारी किया जावे।
4. सामग्री कय करने व कार्य निविदा पर कराये जाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया आदि निर्धारण करने बाबत निर्देशिका (पार्ट-11) का परीक्षण/सुझाव सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त अभियन्ता को नियोजित कर पूर्ण कराया जावें इस सम्बंध में उचित व्यक्ति के नाम का चयन अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.) पंचायती राज विभाग के स्तर पर शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये।
5. बीएसआर से सम्बंधित प्रकरणों के सम्बंध में हर माह बैठक आयोजित कराई जावे।
अतः में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/महात्मा गांधी नरेगा/पंचायती राज विभाग।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंरावि।
6. अधीक्षण सलाहकार, ग्रावि।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियन्ता (आवास) जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।

(3) PDM for upload on website


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि